पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक विविध वाद सं.– 12753/2016

थाना कांड संख्या–594 वर्ष–2014 थाना–लखीसराय जिला–लखीसराय से उत्पन्न

= =

राजेश कुमार उर्फ राजेश सॉ, पिता– लक्की साव, निवासी ग्राम–नया बाजार, लखीसराय, थाना + जिला–लखीसराय।

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

बिहार राज्य ....विपरीत पक्ष

= =

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अमृत अभिजात, अधिवक्ता
श्री स्नेहल कुमार, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री मीना सिंह, एपीपी

= =

- मुख्य मुद्देः

1. क्या धारा 7, **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955** और धारा 420, **भारतीय दंड संहिता** के तहत अभियोजन वैध था?

2. क्या पुलिस द्वारा दी गई अंतिम रिपोर्ट को अस्वीकार कर मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेना विधिसम्मत था?

3. क्या चावल का व्यापार किसी नियंत्रण आदेश (Control Order) के उल्लंघन में आता है?

- न्यायालय की टिप्पणियां:–

1. धारा 7, आवश्यक वस्तु अधिनियम का अनुपालन: – धारा 7 के तहत अपराध तभी सिद्ध होता है, जब धारा 3 के तहत जारी किसी नियंत्रण आदेश का उल्लंघन हुआ हो। – अभियोजन ने कोई नियंत्रण आदेश प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हो सके कि चावल के व्यापार पर कोई प्रतिबंध था। (पैरा 7) – न्यायालय ने Ranjeet Paswan बनाम बिहार राज्य (2009 SCC OnLine Pat 1321) का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि एफआईआर में नियंत्रण आदेश का उल्लंघन स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए।

2. पुलिस की अंतिम रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट का दृष्टिकोण:– पुलिस जांच में पाया गया कि याचिकाकर्ता के पास चावल खरीदने और बेचने का वैध लाइसेंस (TIN) था। – मजिस्ट्रेट ने पुलिस की रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए अपराध का संज्ञान लिया। – न्यायालय ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट के स्पष्ट निष्कर्षों को बिना ठोस कारण के नजरअंदाज करना प्रक्रिया का दुरुपयोग है। (पैरा 6, 14)

3. धारा 420, भारतीय दंड संहिता: – अभियोजन ने यह साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि याचिकाकर्ता ने धोखाधड़ी (Cheating)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

= =

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

तारीखः 27-06-2024

वर्तमान याचिका धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर की गई है, जिसमें विद्वान उप-विभागीय मजिस्ट्रेट लखीसराय (कबैया) थाना कांड संख्या 594/2014 द्वारा पारित दिनांक 06.07.2015 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जो जी.आर. संख्या 1562/2014 के अनुरूप है, जिसके तहत विद्वान उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने एकमात्र आरोपी राजेश कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया है।

2. सूचक द्वारा दायर लिखित प्रतिवेदन से अभियोजन का मामला यह उभर कर आता है कि जब सूचक, सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी, लखीसराय द्वारा आरोपी/याचिकाकर्ता के गोदाम पर छापा मारा गया था, राजेश कुमार के अनुसार, यह पाया गया कि चावल को एक ट्रक में लोड किया जा रहा था और आरोपी/याचिकाकर्ता की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। आरोपी/याचिकाकर्ता से संबंधित कोई चावल मिल नहीं मिली और ट्रक नंबर WB-41E-3390 में 138 बोरी चावल लोड पाया गया और गोदाम में 247 बोरी चावल भी पड़ा हुआ पाया गया।

3. जांच के बाद पुलिस को पता चला कि आरोपी/याचिकाकर्ता के पास टीआईएन नंबर 10553682007 के तहत चावल बेचने और खरीदने का लाइसेंस था और इस लाइसेंस के तहत आरोपी/याचिकाकर्ता ने नूतनगंज बर्दवान (पश्चिम बंगाल) के श्री राम कुसमी पटेल से 400 बोरी चावल खरीदा था। याचिकाकर्ता ने चावल का डिलीवरी चालान और कैश मेमो और लाइसेंस की कॉपी भी पुलिस को पेश की थी। इसलिए पुलिस ने पाया कि याचिकाकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया है। तदनुसार पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला बंद करते हुए उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, लखीसराय की अदालत में अंतिम फॉर्म दाखिल किया। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने पुलिस के दृष्टिकोण से असहमति जताते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि चावल एक मुफ़्त वस्तु है और कोई भी व्यक्ति चावल

का व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि किसी भी उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा कोई नियंत्रण आदेश जारी नहीं किया गया है। विवादित आदेश न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग और याचिकाकर्ता के साथ घोर अन्याय के अलावा और कुछ नहीं है।इसलिए, इसे धारा 482 सीआरपीसी के तहत रद्द किया जाना चाहिए।

5. हालांकि, राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता ने विवादित आदेश का बचाव करते हुए कहा कि विवादित आदेश में कोई अवैधता या कमी नहीं है। अभिलेख पर मौजूद सामग्री के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और इसलिए विवादित आदेश कायम रखने योग्य है।

6. मैंने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया तथा पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया।

7. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 में अधिनियम की धारा 3 के तहत किए गए किसी भी आदेश के उल्लंघन के मामले में दंड का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 3 सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण आदि को नियंत्रित करने के लिए कोई भी आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के लागू होने की पहली और सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि नियंत्रण आदेश का उल्लंघन होना चाहिए। लेकिन चावल के कारोबार के संबंध में लिखित रिपोर्ट में ऐसा कोई आदेश नहीं बताया गया है। किसी भी नियंत्रण आदेश के अभाव में, हर कोई चावल का कारोबार करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए, यदि आरोपी चावल ले जाता या भंडारण करता पाया जाता है, तो कोई अपराध नहीं माना जाता है।

8. रंजीत पासवान बनाम बिहार राज्य, 2009 एससीसी ऑनलाइन पैट 1321 में भी इस न्यायालय ने माना है कि सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय दोनों के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा यह तय किया गया है कि ई.सी. अधिनियम की धारा 7 के तहत अभियोजन को आमंत्रित करने के लिए, प्राथमिकी में यह खुलासा होना चाहिए कि ई.सी. अधिनियम की धारा 3 के तहत दिए गए किस आदेश का उल्लंघन किया गया है और फर्दबयान या शिकायत में इस तरह के बयान या घोषणा के अभाव में, ई.सी. अधिनियम की धारा 7 के तहत कोई अभियोजन नहीं हो सकता है। इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय ने रामावतार प्रसाद बनाम बिहार राज्य, (2008 एससीसी ऑनलाइन पैट 1245) और गुणानंद प्रसाद उर्फ गुणानंद साह बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2008 एससीसी ऑनलाइन पैट 1218) में लिया है।

9. अरविंद कुमार बनाम बिहार राज्य, 2014 एससीसी ऑनलाइन पैट 1369 में, इस न्यायालय ने यह भी माना है कि कानून के स्थापित सिद्धांत के अनुसार, किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम को

आम जनता के लाभ के लिए बनाया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों या आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधिकार के तहत प्रख्यापित नियंत्रण आदेशों के किसी भी उल्लंघन के लिए, केवल एजेंटों या पी.डी.एस. डीलरों पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

10. अभिलेख पर कोई अभियोजन सामग्री भी नहीं है जो यह दर्शाए कि याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत दंडनीय धोखाधड़ी का अपराध किया है।

11. इस प्रकार, मामले के कथित तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार कोई अपराध नहीं बनता है।

12. हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [1992 अनुपूरक (1) एससीसी 335] के प्रसिद्ध फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के अलावा, यह माना है कि यदि मामले के कथित तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार कोई अपराध नहीं बनता है, तो न्यायालय अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आ.दं.सं. की धारा 482 के तहत निहित शक्ति का उपयोग कर सकता है।

13. पेप्सी फूड्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य, [(1998) 5 एससीसी 749] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आपराधिक मामले में अभियुक्त को समन करना एक गंभीर मामला है और आपराधिक कानून को स्वाभाविक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

14. अतः, आरोपित आदेश कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है तथा न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने तथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत निरस्त किया जाना चाहिए।

15. तदनुसार, वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाता है, तथा थाना कांड संख्या 594/2014 में उप–विभागीय मजिस्ट्रेट लखीसराय (कबैया) द्वारा पारित दिनांक 06.07.2015 के विवादित आदेश को निरस्त किया जाता है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

रविशंकर/शोएब

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।